

फर्द अहकाम

उपसण्ड अधिकारी मुकाम गोविन्दगढ़
 बसमला बनाम लीला वर्गेरा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
----------------------------------	--

01/02/2023 वकील जर्जींग उपस्थित। पट्टा नं० पत्र 2/2
 BTA वकील जर्जींग के मूल गाड के हाण पेश किया। इज
 दाई० हो। ज० पत्र के समर्थन में जर्जींग के स्वयं काशपय
 पत्र पेश किया व इजर्जींग को जर्मी अन्तिम अप्पारिनिषदाशा
 निषेधाशा पाबन्द करने का निवेदन किया। वकील जर्जींग
 को सुना गला। पत्तवली के संलग्न दस्तावेजों का अन्व-
 लोकण किया गला। प्रथम दृष्टया वेस व सुविधा का
 सुतलन एवं इन्फ्रालीम क्षति जर्जींग के पक्ष में होना प्रतीत
 होता है।

अतः अजर्जींग को जर्मी अन्तिम अप्पारिनिषदाशा
 आगामी पेशी तक पाबन्द रिया जाता है कि वा आठ
 ख० नं० 56/2 वाके आम् आम् आम् नदहील गोविन्दगढ़
 के जॉका एवं रिकार्ड की प्रकाशिति बनाए रखे।

अजर्जींग को नोटिस है कि उन्हें अदेश की
 पालना में कोई उज्जे हो दिनांक 8/3/2023 को पेश
 कोट कि अम्पों ना उअर आदेश को दावा के निर्णय तक
 स्थायी कर दिया जावे। अजर्जींग जर्मी नोटिस
 राजि० डाक से गलब हो पत्तवली वास्ते तलबी
 अजर्जींग दिनांक 8/3/2023 को पेश हो

उपसण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलग)

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

04.10.23 ... वकील वादी / शर्मा ... अथ

साहिक आदेश दिनांक..... 01.10.23

की पालना में पत्रावली वास्तु... तलबी रिपोर्ट के अंतिम मो...
दिनांक 16.10.23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

16.10.23 ... वकील ... शर्मा ... अथ

साहिक आदेश दिनांक..... 01.10.23

की पालना में पत्रावली वास्तु... तलबी रिपोर्ट के अंतिम मो...
दिनांक 08.11.23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

08.11.23 पत्रावली पेश। P.O. साहब..... पुनाव

... शर्मा के ... है।

पत्रावली दिनांक... 20.11.23 को पेश हो।

रीडर

20.12.23 पत्रावली पेश। P.O. साहब..... के मध्य

... शर्मा के ... है।

पत्रावली दिनांक... 24.12.23 को पेश हो।

रीडर

24.1.24 ... वकील ... शर्मा ... अथ

साहिक आदेश दिनांक.....

की पालना में पत्रावली वास्तु... तलबी रिपोर्ट के अंतिम मो...
दिनांक 07.02.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

07.2.24

पत्रावली बहुत ही... पत्रावली के खिंचे से अलखी
... 1 लठ 6 की तलबी में है। तलबी हेतु पुन तलबना
पेश करने के आशय से अनेक अवसर प्रदान किए
गये हैं। इसके अतिरिक्त पुनः तलबना पेश नहीं किया
गया है।

निम्नलिखित प्रक्रिया लेखित के आदेश 9 नियम 05 के
आलेख में धारणा पत्र-212 के अन्तर्गत किया जाय
है। पत्रावली के मूल नम्बर के अन्तर्गत से कम ले...
तलबना तलबना के अन्तर्गत से कम ले...
तलबना तलबना के अन्तर्गत से कम ले...

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राजग